बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

संकल्प

सं0–1जी0/ई0मु0स्था0–10–23/10–1757 पटना, दिनांक– 4/8/11

विषयः–नोडल विभाग (मानव संसाधन विकास विभाग) हेतु अधिसूचित सेवा / संवर्ग नियमावली के अनुरूप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में सृजित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों एवं प्रशिक्षित मैट्रिक शिक्षकों के लिए सेवा संवर्ग नियमावली अंगीकृत करने के संबंध में।

अनुसूचिज जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए डॉ0 भीम राव अम्बेडकर आवासीय विद्यालयों के निमित्त विभागीय राज्यादेश सं0–3272 दिनांक 25.06.99 एवं राज्यादेश सं0–26 दिनांक 15.02.06 द्वारा प्रशिक्षित मैट्रिक शिक्षकों एवं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के पदों की स्वीकृति दी गयी थी।

2– इन पदों पर नियुक्ति की अहर्त्ता, प्रोन्नति, रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना आदि का विषय सेवा/संवर्ग नियमावली गठित नहीं रहने के कारण अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग के मैट्रिक एवं स्नताक प्रशिक्षित शिक्षकों के सम्वर्ग नियमावली गठन का प्रस्ताव विचाराधीन था।

3– उपर्युक्त विषय पर दिनांक 24.03.11 को सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर पर हुई सेवा/संवर्ग नियमावली को अंतिम रूप देने के प्रयोजनार्थ गठित प्राधिकृत समिति की कार्यवाही के कंडिका–2 में निहित निर्णय के अनुसार राजकीय प्राथमिक, मध्य, उच्च विद्यालयों के लिए जो सेवा संवर्ग नियमावली मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा गठित है को ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में सृजित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों एवं प्रशिक्षित मैट्रिक शिक्षकों के लिए अंगीकृत करने का परामर्श दिया गया, ताकि सम्वर्ग नियमावली में एकरूपता बनी रहे।

4– इस परामर्श के आलोक में मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा मैट्रिक प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए अधिसूचित सेवा सम्वर्ग नियमावली को अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग के अधीन आवासीय विद्यालयों के मैट्रिक प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए अंगीकृत किया जाता है।

5– प्रस्ताव में विभागीय मंत्री/विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

4/8/11

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1जी0 / ई0मु0स्था0–10–23 / 10–1757 पटना, दिनांक–4/8/11

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1जी0 / ई0मु0स्था0–10–23 / 10–1757 पटना, दिनांक–4/8/11

प्रतिलिपि–सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / मानव संसाधन विभाग, बिहार, पटना / मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के आप्त सचिव / निदेशक / सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण / सभी जिला कल्याण पदाधिकारी / अपर सचिव / उप सचिव / अवर सचिव– I, II, III / स्थापना शाखा को 10 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1जी0 / ई0मु0स्था0–10–23 / 10–1757 पटना, दिनांक– 4/8/11

प्रतिलिपि–राजकीय प्रेस, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनाथ प्रेषित / उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 250 प्रतियाँ अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के अवर सचिव।